

राज्य सरकार की ओर से धनावंटन
संख्या- 270/1 10-2015-33(34)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
✓सोनभद्र, ✓पीलीभीत, ✓लखीमपुर खीरी, ✓फैजाबाद, ✓बलिया, ✓गौतमबुद्धनगर, ✓अलीगढ़, ✓कासगंज,
✓कौशाम्बी, ✓बहराइच, ✓बाराबंकी, ✓सुलतानपुर, बागपत, ✓अमरोहा, ✓गाजीपुर, ✓लखनऊ, ✓गाजियाबाद,
✓रायबरेली एवं ✓हमिदपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2015

विषय: फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-177/1-11 2015 1(जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण फसलों को हुई क्षति/असामयिक मृत्यु के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं गृहकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़ मात्र) आपके निर्वहन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु० में)
1	सोनभद्र	100
2	पीलीभीत	100
3	लखीमपुर खीरी	100
4	फैजाबाद	100
5	बलिया	100
6	गौतमबुद्धनगर	100
7	अलीगढ़	100
8	कासगंज	100
9	कौशाम्बी	100
10	बहराइच	100
11	बाराबंकी	200

12	सुल्तानपुर	100
13	बानापत	100
14	अनरोहा	100
15	गा जीपुर	100
16	लखनऊ	100
17	गोजियाबाद	100
18	रा मबरेली	100
19	रु दौड़े	100
योग		2000
(रुपये बीस करोड़ मात्र)		

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।
- (2) ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।
- (3) चूंकि यह राज्य सरकार की एक नयी योजना है जिसके लिये वित्त विभाग के पत्र संख्या-आरई-004/ई-5-604/दस 2015, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की गयी है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि की नहीं है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।
- (4) इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (5) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।
- (6) इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित

सहायता की रवी ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

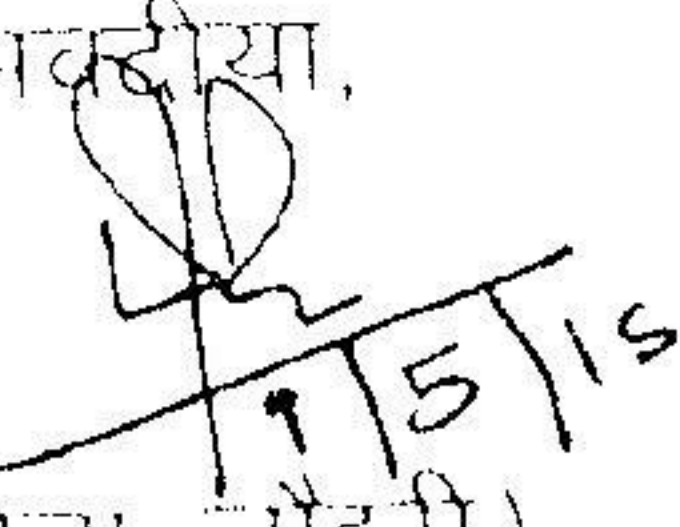
8 कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराकर तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पॉस फंड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता 4-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11 2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही गदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,


(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 270(1/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त ए। सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।